

**बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न**

श्री विनय बिहारी, स0वि0स0 द्वारा  
दिनांक-13.12.2013 को पूछा जाने वाला  
तारांकित प्रश्न सं0-पुन-6 के संबंध में।  
क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह  
बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,  
मंत्री,  
आपदा प्रबंधन विभाग  
बिहार, पटना

**तारांकित प्रश्न**

**उत्तर**

(1) क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण  
जिला के योगापट्टी, नौतन, बगहा-1,  
बगहा-2, पिपरासी, मधुबनी, भितहाँ, ठकराहाँ  
प्रखंडों के विभिन्न गाँवों से बाढ़ विस्थापित  
परिवारों की संख्या 65 हजार है ;

पश्चिम चम्पारण जिला के प्रश्नगत आठ अंचलों में  
से बगहा-1, बगहा-2 एवं मधुबनी अंचल में वर्ष 2013 में  
बाढ़/कटाव से विस्थापित परिवारों की संख्या शून्य है।

1. पिपरासी अंचल में वर्ष 2013 में कटाव से  
विस्थापित परिवारों की संख्या 212 है जिन्हें समेरा  
लबेदहाँ पंचायत के नया टोला भैसहिया में बसा  
दिया गया है।
2. भितहाँ अंचल अन्तर्गत कुल 2466 विस्थापित  
परिवारों को बसाने हेतु जमीन उपलब्ध करा  
दिया गया है।
3. योगापट्टी अंचल अन्तर्गत कटाव से वर्ष 2012-13  
में विस्थापित परिवारों की संख्या 805 है जिरामें से  
20 परिवारों को जमीन उपलब्ध कर बसाया जा  
चुका है। 69 परिवार को बसाने की प्रक्रिया  
क्रियान्वित है एवं शेष 716 परिवार स्वयं का जमीन  
क्रय कर विभिन्न अंचलों में बस गये है।
4. नौतन अंचल अन्तर्गत अद्यतन कुल विस्थापित 537  
परिवारों में से 228 परिवार को इंदिरा आवास  
उपलब्ध करा दिया गया है। 163 परिवारों को वर्ष  
2007 में ही 0.4 डी0 जमीन उपलब्ध करा दिया  
गया था। 110 परिवारों को वर्ष  
2011-12/2012-13 में 0.3 डी0 जमीन उपलब्ध  
करा दिया गया है। शेष 36 परिवारों को जमीन  
उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
5. ठकराहाँ अंचल अन्तर्गत वर्ष 2013 में कुल कटाव  
से विस्थापित परिवारों की संख्या 143 है जिन्हें  
बसाने हेतु जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई  
प्रक्रियाधीन है।

(2) क्या यह बात सही है कि बाढ़ विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु सरकार सन् 2013 में अब तक जमीन का प्रबंध नहीं कर सकी है ;	प्रश्नगत आठ अंचलों में विस्थापित एवं बसाये गये परिवारों की विवरणी निम्नवतः है।			
	कुल विस्थापित परिवारों की सं०	अद्यतन बसाये गये परिवारों की सं०	बसाने हेतु जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन परिवारों की सं०	स्वयं जमीन क्रय कर बसे परिवारों की सं०
	4163	3199	248	716
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बाढ़ विस्थापितों को बसाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।			

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०स०ता०प्र०-141/2013/...../आ०प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक -2884 दि०-04.12.2013 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04/वि०स०ता०प्र०-141/2013/.....5531/आ०प्र०, पटना-15, दि०- 26/12/13 -

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

26/12/13  
विशेष कार्य पदाधिकारी